

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यालयिक दण्डनायक
तहसील दीगोद, जिला कोटा



क्रमांक : प.सुगम/जा.पं./2015 / 8411

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री/सुश्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री

निवासी

जिला/डिविजन

संजय कुमार मेघवाल

मोहनलाल मेघवाल

निगोदा हरिजी

कोटा

राज्य/संघ राज्य- राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी/प्रार्थीनी जाति/समुदाय

का है जिसे निम्नांकित अनुसार

जो अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति

की सूची संख्या में क्रम सं.

के रूप मान्यता

46

मेघवाल

दी गयी है।

पर दर्ज है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966,

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा-

-अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1955

अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान-

-(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962

संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967

संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968

संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री/सुश्री/श्रीमती

जाति

जिला/डिविजन

संजय कुमार मेघवाल

मेघवाल

कोटा

पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

मोहनलाल मेघवाल

निगोदा हरिजी

तहसीलदार

हस्ताक्षर कार्यालय मोहर

स्थान : दीगोद

दिनांक : 06/04/2015

यहाँ प्रयुक्त हुये "साधारण तौर से निवास" शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।